मुख्यमंत्री ने पंजाब, हरियाणा और हनुमानगढ़ के विभिन्न हेड का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, कि आई.जी.एन.पी. के सुदृढ़ीकरण के लिए 34 सौ करोड़ रु. खर्च किये जायेंगे

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ के लखूवाली हैड, घग्गर डाइवर्ज़न पैनल की कार्यप्रणाली व घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा बाढ़ सुरक्षा के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन पंजाब, हरियाणा तथा हनुमानगढ़ में विभिन्न हेड, नहरी तंत्र तथा बैराज का अवलोकन किया।

जयपुर, 8 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन हनुमानगढ़ में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, माही बेसिन प्रबंधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सुदृढ़ीकरण सहित, विभिन्न निर्णय लिए हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए तथा आमजन को पर्याप्त पेयजल मिल सके। उन्होंने कहा कि आईजीएनपी के सुदृढ़ीकरण के लिए 3 हजार 400 करोड़ रूपये के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही, भाखड़ा और गंग नहरों से जुड़ी खालों संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान पहले दिन पंजाब, हरियाणा तथा हनुमानगढ़ में विभिन्न हेड, नहरी तंत्र तथा बैराज का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री सबसे पहले पंजाब के तरनतारन जिले में स्थित हरिके बैराज गए, वहां उन्होंने हरिके हेड पर नहरी तंत्र की प्रक्रिया का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा की। इसके बाद शर्मा ने मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड, बीकानेर केनाल, फिरोजपुर फीडर एवं इंदिरा गांधी फीडर का हवाई निरीक्षण किया। हवाई निरीक्षण के बाद, मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सिरसा जिले के लोहगढ़ हेड में भाखड़ा सिंचाई परियोजना के लिए इंदिरा गांधी फीडर और सरहिन्द फीडर के मध्य बने लिंक का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ के लखूवाली हेड, घग्घर डायवर्जन चैनल तथा घग्घर नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने घग्घर नदी की जल प्रवाह क्षमता तथा डायवर्जन चैनल की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को राहत देने तथा बाढ़ से जन-धन की हानि को रोकने के लिए घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में 325 करोड़ रूपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करवाने की घोषणा की थी।

कार से कुचलने की घटना से आक्रोशित लोगों ने परकोटा जाम किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 8 अप्रेल। राजधानी के नाहरगढ़ इलाके में तेज रफ्तार एस.यू.वी. कार से 3 लोगों को कुचलकर मारने वाले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान के खिलाफ आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अलसुबह लोगों ने नाहरगढ़ पुलिस थाने को घेर लिया और छोटी व बड़ी चौपड़ पर जाम लगाकर आवाजाही रोक दी। दिनभर चले उग्र प्रदर्शन के बाद शाम साढ़े 4 बजे मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रु. मुआवजा और संविदा पर नौकरी की बात पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। उधर कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर.आर.तिवाड़ी ने आरोपी उस्मान को जिला कार्यकारिणी से निष्काषित कर दिया है।

गौरतलब है कि सोमवार देर रात को नशे में धुत्त कांग्रेस नेता उस्मान खान ने तेज रफ्तार एस.यू.वी. कार से 7 किलोमीटर के दूरी में 9 लोगों को टक्कर मारी थी। नाहरगढ़ रोड पर हुए इस हादसे में भाई-बहन, सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल 6 लोगों का उपचार जारी है।

■ **मृतक के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवज़ा व संविदा नौकरी की सहमति पर धरना समाप्त हुआ।**

इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां ममता कंवर और अवधेश को मृत घोषित कर दिया गया था। मंगलवार सुबह एक और घायल वीरेन्द्र सिंह ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी उस्मान खान को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल डीसीपी (उत्तर) बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी उस्मान खान (62) ने सबसे ज्यादा टक्करें करीब 500 मीटर के एरिया में मारीं। नाहरगढ़ क्षेत्र में संतोषी माता मंदिर के पास पहले स्कूटी-बाइक को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे लोगों को कुचलते हुए भाग गया। उस्मान खान ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी। आरोपी ने सोमवार रात 9.30 बजे सबसे पहले एमआई रोड पर एक गाड़ी को टक्कर मारी थी।

सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिस तरह चलना चाहिये। कभी-कभी तो के.सी. वेणुगोाल तक महत्वपूर्ण पार्टी निर्णयों में उनके निर्णय के विरूद्ध फैसला ले लेते हैं।

कुछ दिनों से पार्टी-हल्कों में ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि प्रियंका से चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्ष बनने के लिये कहा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि चुनाव प्रबंधन के मामले में यह उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी होती है। अभी यह कमेटी बनी नहीं है तथा यह दर्शाने वाली कोई हलचल भी दिखाई नहीं दे रही है कि प्रियंका को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।

वे ऐसी एआईसीसी महासचिव हैं, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो या जिम्मेदारी नहीं है और इस स्थिति को एक साल से ज्यादा समय हो गया।

वे स्वयं को सुर्खियों और चर्चाओं से दूर रखे हुये हैं। विवादित वक्फ विधेयक, जिसका कांग्रेस तथा पूरे विपक्ष ने विरोध किया था, पर भी वे सक्रिय दिखाई नहीं दीं।

जयराम रमेश तो इस बात से खुश नहीं थे कि केवल प्रियंका गांधी की गैरमौजूदगी के बारे में प्रश्न क्यों किया जा रहा है, जबकि विस्तारित सीडब्ल्यूसी की इस मीटिंग में 35 सदस्य उपस्थित नहीं हुये हैं।

■ **जयराम रमेश जरूर इस बात से झुंझलाये हुए से लगे, कि प्रियंका गाँधी की अनुपस्थिति पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि वे अकेली नहीं जो इस महत्वपूर्ण आयोजन में अनुपस्थित हैं, पैंतीस ऐसे सदस्य हैं, जो आमंत्रित होने के बावजूद बैठक में या ए.आई.सी.सी. के सत्र में नहीं आये हैं।**

उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने का कारण संभवत: यही है कि वे गांधी परिवार से हैं तथा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का हिस्सा हैं। यह वजह है कि उनकी गैरमौजूदगी को लेकर अत्यधिक अटकलें लगाई जा रही हैं।

'देश के संविधान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं है उसे इन पर वीटो पावर नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि गर्वनर्स के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए जैसा कि आर्टिकल 200 और संघीय नीति के तहत आवश्यक है कि राज्यपाल का आचरण न्यायिक मानदंडों के अनुरूप हो। समय सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित राज्यपाल के आचरण की न्यायिक समीक्षा की जाएगी।

स्टालिन ने निर्णय का स्वागत करते हुए तमिलनाडु विधानसभा में कहा कि, यह न केवल तमिलनाडु की बड़ी जीत है बल्कि देश की सभी राज्य सरकारों की जीत है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु ने द्रमुक के सिद्धांतों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया है जैसे राज्य की स्वायत्तता और संघवाद तमिलनाडु संघर्ष करेगा और जीतेगा। स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के विधायकों व तमिलनाडु की जनता, जिसने हमें चुना है की तरफ मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ जिसने राज्य विधानसभा के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की।

कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अन्तर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए माना कि दस विधेयकों को कानून बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। न्यायालय ने कहा कि यह राज्यपाल द्वारा इन विधेयकों पर निर्णय लेने में की गई देरी और शीघ्र कार्यवाही की वकालत करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों के प्रति उनके "अल्प सम्मान" के लिए एक उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी।

जैसी की उम्मीद है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस खबर का स्वागत किया, क्यों वे भी इसी तरह की समस्या से ग्रस्त है। उन्होंने कहा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और राज्यपालों द्वारा विधानसभा की शक्तियों को हड़पने की प्रवृति के खिलाफ चेतावनी है।

सुप्रीम कोर्ट में गत नवम्बर में राष्ट्रपति के विचार के दस विधेयकों को रोकने की राज्यपाल आर.एन. रवि की कार्यवाही को गलत व अवैध घोषित किया, क्योंकि राज्य विधानसभा उन्हें दोबारा पारित कर चुकी थी।

जिंदा बम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सजा सुनने के लिए न्यायिक अभिरक्षा से बुलाया गया। सजा सुनने के बाद चारों अभियुक्तों के चेहरे पर जरा भी शिकन नज़र नहीं आई, बल्कि वे हंसते-मुस्कुराते हुए कोर्ट कक्ष से बाहर निकले।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों और राज्य प्रशासन के प्रमुख की जानकारी में आये बिना, इतनी बड़ी और व्यापक अनियमितताएं आखिर हो कैसे गईं।

उम्मीदवारों ने नियुक्ति पाने के लिए राजनेताओं तथा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को रिश्वत दी थी, तथा उन सक्षम शिक्षकों, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में काफी अच्छे अंक प्राप्त किये थे, के नाम मैरिट लिस्ट से हटा दिये गये थे। प्रतियोगी परीक्षा की "ओ एम आर" शीटों में हेर-फेर तथा परिवर्तन करने के स्पष्ट सबूत मिले हैं। अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, एस एस सी अधिकारियों ने अदालतों में कह दिया कि सभी स्कोर शीट्स नष्ट की जा चुकी हैं। लेकिन सी बी आई ने फरीदाबाद के कुछ प्रतिष्ठानों से उम्मीदवारों के वास्तविक अंकों की कम्प्यूटर प्रतियां हासिल कर लीं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अविजित गांगुली ने अब जोर देते हुए कहा है कि उन सक्षम उम्मीदवारों, जिन्होंने नौकरी पाने के लिए किसी को रिश्वत नहीं दी थी, को भ्रष्ट उम्मीदवारों से अलग किया जाना संभव है। गांगुली ने कहा कि भ्रष्ट एवं सक्षम उम्मीदवारों को पृथक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, असली और ईमानदार चयनित उम्मीदवारों की नौकरी बहाल होना संभव किया जाना चाहिए।

कांग्रेस अधिवेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अहमदाबाद में अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण दिक्कत हो गई जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के ज़ाइडस अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। वह अस्पताल में है और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य नज़र रखें हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद के लिए मंगलवार को भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया था और यहां दिन का तापमान या 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था।

ब्रह्मकुमारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा अनेक गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है।

उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान के आबू रोड में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय शांतिवन आश्रम के सभागार में अंतिम दर्शनार्थ रखा गया है। ब्रह्माकुमारीज के अनुसार दादी रतनमोहिनी का 10 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।

कांग्रेस हाईकमान ने क्या मन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के रूप में देखा जा सकता है।

यह पता ही है कि अशोक गहलोत के इशारे पर राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल के नेता टीकाराम जूली, पी.सी.सी. अध्यक्ष डोटासरा, ए.आई.सी.सी. महासचिव भंवर जितेन्द्र सिंह व कुछ अन्य ने सचिन पायलट के खिलापु गुट बना लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नेतृत्व की दौड़ में आगे न निकल जाएं।

गहलोत को पायलट की हर बात ना पसंद है और वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पायलट नेतृत्व के पद तक न पहुंच पाएं। लेकिन पार्टी के नेतृत्व के आज के कदम से स्पष्ट है कि उसने अपना मानस बना लिया है और अगर इसे अगले चुनाव में सत्ता पाने का गंभीर प्रयास करना है तो पायलट पर दांव लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। पार्टी में गंभीर विचार चल रहा है कि इस निर्णय को चुनाव आने तक के लिए नहीं टाला जा सकता है। इसे जल्द से जल्द लागू करना होगा।

समस्या यह है कि गहलोत से कैसे डील किया जाए जो पायलट के रास्ते में अड़चने पैदा करने से बाज नहीं आएंगे।

पद्मेश मिश्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उससे साफ जाहिर है कि इस नियुक्ति से पहले महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता और विधि विशेषज्ञों व विभाग से कोई राय-मशविरा नहीं किया है, क्योंकि पद्मेश मिश्रा को पहले पैनल लॉयर के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके लिए 5 वर्ष का अनुभव चाहिए था। इसके बाद पैनल लॉयर नियुक्त होने के महज 3 दिन बाद ही उन्हें अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति दे दी गई, जबकि इस पद के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। सुनील समदड़िया का कहना है कि विधि नीति में जो फेरबदल किए गए हैं, वह परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होते है, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त महाधिवक्ता (ए.ए.जी.) के पद पर नियुक्त कर सकती है, दूसरी ओर ए.ए.जी. पद के लिए 10 वर्ष का अनुभव भी वर्णित है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908